



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266400
CG-DL-E-25092025-266400

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]
No. 257]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

मामला सं. एडी (एसएसआर) - 08/2025

विषय: चीन जन. गण. से पॉलीइथाइलीन टेरैफ्थेलेट (पीईटी) रेज़िन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

फा.सं. 07/15/2025- डीजीटीआर.—इंडोरामा यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड, आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद "आवेदक" के रूप में भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "पाटनरोधी नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) के अनुसार, चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉलीइथाइलीन टेरैफ्थेलेट (पीईटी) रेज़िन (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में भी कहा गया है) के

आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया है।

अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाए गए पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उन्हें पहले ही वापस नहीं ले लिया जाता, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे और प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाए जाने की आवश्यकता की समीक्षा करनी होगी तथा यह आकलन करना होगा कि क्या शुल्कों के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. विगत जांचों की पृष्ठभूमि

1. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच दिनांक 1 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना के तहत शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 28 दिसंबर 2020 के अंतिम जांच परिणाम फा. सं. 6/24/2019- डीजीटीआर के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 की अधिसूचना सं. 18/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से ऐसे शुल्कों को अधिसूचित किया गया था। यदि उक्त शुल्कों का आगे विस्तार नहीं किया जाता है, तो वे दिनांक 26 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएंगे।
2. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, वानकाई न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यात किए जाने पर संबद्ध देश के मूल की संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में दिनांक 4 मार्च 2024 को एक अवशोषण रोधी (एंटी एब्जॉर्प्शन) जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 28 अगस्त 2024 को फा. सं. 7/27/2023- डीजीटीआर के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए, जिसमें लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 22 नवंबर 2024 की अधिसूचना सं. 25/2024- सीमा शुल्क (एडीडी) जारी की, जिसमें लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन किया गया था।

ख. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद वर्जिन बॉटल-ग्रेड पॉलीइथाइलीन टैरेफ्थेलेट (पीईटी) रेज़िन है, जिसे "पॉलीइथाइलीन टैरेफ्थेलेट रेज़िन जिसकी आंतरिक विस्कोसिटी 0.72 डेसीलिटर प्रति ग्राम या उससे अधिक हो" के रूप में परिभाषित किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में पुनर्चक्रित पीईटी रेज़िन शामिल नहीं है। पीईटी रेज़िन का उपयोग प्रीफॉर्म के निर्माण के लिए किया जाता है, जिन्हें उसके बाद में मिनरल वाटर, कार्बोनेटेड शीतल पेय, खाद्य तेल, फार्मास्यूटिकल उत्पादों आदि को स्टोर करने के लिए पीईटी बोतलों और जार में परिवर्तित किया जाता है।
4. वर्तमान जांच चूंकि एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो पहले की गई जांचों में परिभाषित किया गया था।
5. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के अध्याय 39 के अंतर्गत शीर्ष 3907 के तहत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तुओं का आयात एचएस कोड 3709 6110, 3907 6190, 3907 6930, और 3907 6990 के अंतर्गत किया जा रहा है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. समान वस्तु

6. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं तकनीकी विशिष्टताओं, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोगों, कीमत के निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के समान विशेषताएं रखती हैं। ये दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य हैं। अतः वर्तमान जांच शुरुआत के प्रयोजन के लिए, आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

7. यह आवेदन इंडोरामा यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड, आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
8. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं है।
9. आईवीएल पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और इंडोरामा यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड, चीन में विचाराधीन उत्पाद के एक उत्पादक, अर्थात् गुआनडोंग आईवीएल पीईटी पॉलीमर कंपनी लिमिटेड से संबंधित हैं। तथापि, आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि आईवीएल पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और इंडोरामा यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड के संबद्ध उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।
10. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं हैं।
11. आवेदकों ने यह भी अनुरोध किया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक अर्थात् चिरिपाल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, मैडलिन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ("एमईपीएल"), सुमिलन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और यूफ्लेक्स लिमिटेड भी हैं।
12. आवेदक के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 85% हिस्सा है। इसके आधार पर, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह नोट करते हैं कि आवेदक के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है और नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।

ङ. संबद्ध देश

13. यह आवेदन चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के संबंध में दायर किया गया है।

च. जांच की अवधि

14. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की है। क्षति जांच की अवधि में दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल होगी।

छ. पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना**i. सामान्य मूल्य**

15. आवेदकों ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए, चीन के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, उनके सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। पैरा 7 के अंतर्गत, किसी गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों के आधार पर अथवा ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को दी जाने वाली कीमतों के आधार पर अथवा भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर किया जाना आवश्यक है।

16. जांच शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को उचित लाभ के साथ विधिवत रूप से समायोजित किए जाने के पश्चात, संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है।

ii. निर्यात कीमत

17. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का निर्धारण, डीजी सिस्टम डेटा में दर्शाई गई संबद्ध वस्तुओं की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय माल भाड़ा, द्वितीयक पैकेजिंग लागत, ऋण लागत और वस्तुसूची वहन लागत के आधार पर मूल्य के समायोजन किए गए हैं ताकि कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित की जा सके।

iii. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम के स्तर से ऊपर है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देश से भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

ज. क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध

19. वर्तमान जांच चूंकि एक निर्णायक समीक्षा है, अतः प्राधिकारी को यह जांच करनी होगी कि क्या लागू शुल्क के समाप्त होने अथवा निरस्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।

20. आवेदकों ने यह दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी भारत में पाटन जारी रहा है। घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है। क्षति अवधि के दौरान भारत में आयातों में वृद्धि हुई है, संबद्ध देश के उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं और वे अपनी क्षमताओं का आगे और विस्तार कर रहे हैं, संबद्ध देश के उत्पादक निर्यातोन्मुखी हैं, भारत एक कीमत आकर्षक बाजार है और संबद्ध देश से तीसरे देशों को महत्वपूर्ण निर्यात पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर होता है। आयात भारत में बिक्री लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमतों पर हुए हैं।

21. यह भी दावा किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए वैश्विक स्तर पर अत्यधिक क्षमता मौजूद है और विभिन्न देशों द्वारा व्यापार सुधार के उपाय लागू किए जाने के कारण चीन के उत्पादकों ने अपना बाज़ार खो दिया है। आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, पाटित आयातों से कीमत दबाव उत्पन्न होने की संभावना है, जिसका प्रभाव घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर पड़ेगा।

22. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की संभावना के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

झ. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

23. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित किए गए आवेदन के आधार पर और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर, जो कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के कारण घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना को प्रमाणित करते हैं, स्वयं को संतुष्ट करते हुए तथा अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियम 23(1ख) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा वर्तमान अंतिम समीक्षा की शुरुआत करते हैं ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने से पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना है।

ज. प्रक्रिया

24. इस निर्णायक समीक्षा में दिनांक 28 दिसंबर 2020 की अधिसूचना फा. सं. 6/24/2019- डीजीटीआर के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों और दिनांक 28 अगस्त 2024 की अधिसूचना फा. सं. 7/27/2023- डीजीटीआर द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलु शामिल होंगे, जिसमें संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई है।
25. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

ट. सूचना की प्रस्तुती

26. सभी पत्राचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्च योग्य पीडीएफ/ एमएस वर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एम एस एक्सेल फॉर्मेट में हों। फ़ाइलों तक पहुंच के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
27. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों और भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप और तरीके से सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें।
28. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित फॉर्मेट और तरीके से जांच से संबंधित अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

ठ. समय सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना, निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित ईमेल पतों dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, ईमेल द्वारा भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए अनुरोध करने संबंधी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और उपरोक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के लिए उत्तर दाखिल करें।
31. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाने होंगे और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर प्राप्त होना चाहिए।

ड गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुती

32. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार, उसका एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

33. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई भी अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग प्रस्तुत करने होंगे। यदि अनुरोध को कई भागों में किया जाता है तो प्रत्येक भाग में एक अनुक्रमणिका तालिका प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें संलग्न सभी भागों/ ईमेल और दस्तावेजों की सामग्री का उल्लेख हो। सभी अनुरोधों पर पृष्ठ क्रमांकन सुनिश्चित किया जाए।
34. जहां मूल दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, वहां हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ उनका सही से अनुदित पाठ भी उपलब्ध कराया जाए।
35. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन किए बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
36. अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति होनी चाहिए जिसके साथ गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित किया जाए या खाली छोड़ा जाए (यदि अनुक्रमण करना संभव न हो) और उस सूचना के आधार पर संक्षेपित किया जाए जिस पर कि गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए उसे सारांश करना संभव न होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकार, दस्तावेजों का अगोपनीय पाठ प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
37. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच के आधार पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा उसे सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
38. गोपनीयता के दावे पर सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा उचित कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
39. हितबद्ध पक्षकार, इस जांच शुरुआत अधिसूचना के संगत पैरा के अनुसार, दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।
40. प्राधिकारी प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने तथा उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

41. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और उसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। प्रश्नावली के उत्तर या अन्य अनुरोधों का अगोपनीय पाठ अधिमानतः उसी दिन सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रसारित किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में गोपनीय आधार पर प्रस्तुतीकरण दाखिल किए जाने के अगले दिन से बाद में नहीं होना चाहिए। अनुरोधों/ उत्तरों/ सूचना के अगोपनीय पाठ को प्रसारित न किए जाने पर हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ण. असहयोग

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार समुचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी उपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उचित समझें।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

Case No. AD (SSR) – 08/2025**Subject: Initiation of sunset review of anti-dumping duty concerning imports of Polyethylene Terephthalate (PET) Resin from China PR.**

F. No. 07/15/2025-DGTR.—Indorama Yarns Private Limited, IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited and Reliance Industries Limited (hereinafter also referred to as the “applicants”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), in accordance with the Custom Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Custom Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “AD Rules”), for the initiation of a sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of Polyethylene Terephthalate (PET) Resin (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration”) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as “subject country”).

In terms of Section 9A(5) of the Act, the anti-dumping duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have an effect on the expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review the need for the continued imposition of the anti-dumping duty and to assess whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. BACKGROUND OF PREVIOUS INVESTIGATIONS

1. The original anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from the subject country was initiated vide notification dated 1st October 2019. The Authority vide Final Findings F. No. 6/24/2019-DGTR dated 28th December 2020, recommended imposition of anti-dumping duties on imports of subject goods from the subject country for a period of 5 years. Such duties were notified by the Ministry of Finance vide Notification No. 18/2021-Customs (ADD), dated 27th March 2021. The said duties, if not extended, are set to expire on 26th March 2026.
2. Following the imposition of the anti-dumping duty, an anti-absorption investigation concerning the anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods originating from the subject country when exported by Wankai New Materials Co. Ltd. was initiated on 4th March 2024. The Authority issued final findings F.No. 7/27/2023-DGTR dated 28th August 2024, recommending the modification of the quantum of the anti-dumping duty imposed. The Ministry of Finance issued Notification 25/2024-Customs (ADD) dated 22nd November 2024 modifying the quantum of anti-dumping duty in force.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration is virgin bottle-grade polyethylene terephthalate (PET) Resin, defined as “polyethylene terephthalate resin having intrinsic viscosity of 0.72 deciliters per gram or higher”. The scope of product under consideration excludes recycled PET resin. PET Resin is used for the manufacturing of preforms, which are then converted into PET bottles and jars for the storage of mineral water, carbonated soft drinks, edible oils, pharmaceutical products etc.
4. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigations.
5. The product under consideration is classified under Chapter 39 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975, under the heading 3907. The subject goods are being imported under HS Codes 3907 6110, 3907 6190, 3907 6930, and 3907 6990. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.

C. LIKE ARTICLE

6. The subject goods produced by the domestic industry are identical to the goods imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry have comparable characteristics to the subject goods imported from the subject country in terms of technical specifications, physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated as ‘like article’ to the subject goods originating in or exported from the subject country.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

7. The application has been filed by the Indorama Yarns Private Limited, IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited and Reliance Industries Limited.
8. The applicants have submitted that Reliance Industries Limited is not related to any producer of the subject goods in the subject country or any importer of the product under consideration in India.
9. IVL Petrochem Industries Private Limited and Indorama Yarns Private Limited are related to a producer of the product under consideration in China, namely, Guandong IVL PET Polymer Co. Ltd. However, the applicants have submitted that the related producer of IVL Petrochem Industries Private Limited and Indorama Yarns Private Limited has not exported the product under consideration to India during the period of investigation.
10. The applicants have submitted that they have not imported the product under consideration from the subject country during the period of investigation and are not related to any importer of the subject goods in India.
11. The applicants have submitted that there are other producers of the subject goods in India, namely, Chiripal Polyfilms Limited, Jindal Polyfilms Limited, Madelin Enterprises Private Limited (“MEPL”), Sumilon Industries Limited and Uflex Limited.
12. The applicants account for 85% of the total domestic production in India. Based on the same, the Authority *prima facie* notes that the applicants account for a major proportion of total domestic production in India and constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

E. SUBJECT COUNTRY

13. The application has been filed in respect of dumped imports of the product under consideration from China PR.

F. PERIOD OF INVESTIGATION

14. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025. The injury investigation period shall cover the period 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023, 1st April 2023 – 31st March 2024 and the period of investigation.

G. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING

- i. Normal value

15. The applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and therefore, the Chinese producers should be called upon to show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the production and sale of that product under consideration. Unless the Chinese producers show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure – 1 to the AD Rules. Under Para 7, normal value for a non-market economy country is required to be determined on the basis of prices of subject goods in the market economy third country or price from such third country to other countries, including India, or on some other reasonable basis including the price paid or payable in India.
16. The normal value, for the purpose of initiation of the investigation, has been constructed based on the cost of production of the domestic industry of the subject goods, after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profits.

- ii. Export Price

17. The Export price of the subject goods from the subject country has been determined by considering the CIF price of the subject goods, as reported in the DG System data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight, secondary packaging cost, credit costs and inventory carrying costs to determine the ex-factory export price.

- iii. Dumping margin

18. The normal value and the export prices have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de-minimis* level with respect to the subject goods imported from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in India.

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK

19. The present investigation being a sunset review, the Authority is required to examine whether the cessation or revocation of the duty in force would lead to a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

20. The applicants have claimed that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, in case of cessation of anti-dumping duty as even after imposition of anti-dumping duty dumping has continued in India. The situation of the domestic industry continues to be fragile. Imports to India have increased over the injury period, the producers in the subject country hold excess capacities and are further expanding capacities, the producers in the subject country are export oriented, India is a price attractive market and significant exports from subject country to third countries is at dumped and injurious prices. The imports have entered India at prices below the cost of sales and selling price of the domestic industry.
21. It has been further claimed that there are global overcapacities for the product under consideration and Chinese producers have lost market due to imposition of trade remedial measures by various countries. The applicants have submitted that in case of cessation of the anti-dumping duty, the dumped imports are likely to create price pressure impacting the profitability of the domestic industry.
22. It is noted that there is sufficient prima facie evidence regarding the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.

I. INITIATION OF SUNSET REVIEW

23. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicants substantiating the likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry due to cessation of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country, and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23(IB) of the Rules, the Authority hereby initiates present sunset review to examine whether the expiry of existing anti-dumping duties against imports of the subject goods from China PR is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

J. PROCEDURE

24. The sunset review will cover all aspects of the final findings published vide Notification F. No 6/24/2019-DGTR dated 28th December 2020 and final findings published vide Notification F. No. 7/27/2023-DGTR dated 28th August 2024, recommending the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
25. The provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules shall be applicable mutatis mutandis in this review.

K. SUBMISSION OF INFORMATION

26. All the communications should be sent to the Designated Authority via email at email address dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format. Submissions requiring special software to access the files will not be accepted.
27. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
28. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

L. TIME LIMIT

29. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
30. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

31. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS

32. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the AD Rules. Failure to adhere to the above may lead to the rejection of the response I submissions.
33. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately. In case, the submission is made in multiple parts, it is instructed to provide an index table in each part outlining the contents of all parts/emails and documents enclosed. Please ensure page numbering on all submissions.
34. Where the original documents are in a language other than Hindi and English, the interested parties are requested to ensure that the true translated version is provided along with the original documents.
35. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
36. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties may offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the documents.
37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
38. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
39. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of relevant paragraphs of this initiation notification.
40. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

N. INSPECTION OF PUBLIC FILE

41. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. The non-confidential version of the questionnaire response or other submissions should preferably be circulated to all other interested parties on the same day and, in no case, later than the day following the filing of submissions on a confidential basis. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/responses/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

O. NON-COOPERATION

42. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority